मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

(16)
108

क्रमांक एफ. 7-31/97/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 7 जुलाई, 1997

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय :—आरक्षित रिक्तियों को सामान्य वर्ग से भरने पर प्रतिबन्ध।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद भरने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 7-28/91/आ.प्र./एक, दिनांक 15-1-92 द्वारा विशेष भरती अभियान चलाया गया है। इन वर्गों के लिए राज्य, संभाग और जिला स्तर की भरती में पद आरक्षित किये गये हैं। जो पद जिस वर्ग विशेष के लिए आरक्षित किया गया है या किया जाय उस पर नियुक्ति उसी वर्ग विशेष के व्यक्ति से करने के लिए प्रावधान मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 में किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधान अनुसार आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध अनारक्षित वर्ग के व्यक्तियों की नियुक्तियां वर्जित की गई हैं।

2. राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को सामान्य वर्ग के व्यक्तियों से भरा जा रहा है, जो कि स्पष्टतः आरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। अतः निर्देशित किया जाता है कि किसी भी स्थिति में आरक्षित रिक्तियों को सामान्य वर्ग से नहीं भरा जाय। दैनिक वेतनभोगी के नियमितीकरण, अतिशेष कर्मचारियों का संविलियन, संविदा या अनुकंपा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों में भी यह निर्देश लागू होंगे और निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय एवं उनकी गोपनीय चरित्रावलियों में प्रतिकूल टिप्पणी अंकित की जावेगी। यह आदेश सभी निगम/मंडल/सार्वजनिक उपक्रम/विश्वविद्यालयों और अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं पर भी लागू होंगे।

3. उक्त आदेशों से सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को भी कृपया अवगत करा दें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

S. P. Royal

(एस. पी. रयाल)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

17

पृ.क्रमांक एफ. 7-31/97/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 7 जुलाई, 1997

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, जबलपुर,
   सचिव, लोक आयुक्त संगठन, मध्यप्रदेश, भोपाल,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
2. सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा, भोपाल,
   राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश, राजभवन, भोपाल।
3. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव/सचिव (समस्त) सामान्य प्रशासन विभाग।
5. अवर सचिव (स्थापना) अधीक्षण, मंत्रालय।

(जी. एल. अहिरवार)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

शाकेमुभो—902—साप्रवि—26-7-97—1,500.